

The 779th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 26st March, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.
6. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. After that agenda items- wise taken up for deliberations.

1. **Case No. P-2/549/24 Shri Vikash Bansal, S/O Subhash Bansal, B4/13, IInd Floor, Mainwali Nagar, Rohtak Road, Paschim Vihar, Sunder Vihar S.O. West Delhi, Delhi- 110087, Prior Environment Clearance for Basauda Stone Quarry Lease in an area of 2.50 ha. (28,158 cum per year) (Khasra No. - 86/2), Village- Basauda, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.) [DEIAA Case] For EC .**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 746वीं बैठक दिनांक 01/05/2024 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति द्वारा अनुशंसा कीगयी थी।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Vikash Bansal, S/O Subhash Bansal, B4/13, II nd Floor, Mainwali Nagar, Rohtak Road, Paschim Vihar, Sunder Vihar S.O. West Delhi, Delhi- 110087, Prior Environment Clearance for Basauda Stone Quarry Lease in an area of 2.50 ha. (28,158 cum per year) (Khasra No. - 86/2), Village- Basauda, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.) [DEIAA].SIA/MP/MIN/459450/2023.
परियोजना का खसरा नं./लीज	खसरानं.-86/2, एरिया-2.50ha., शासकीय

क्षेत्रफल		भूमि
परियोजना स्थल	Village- Basauda, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.)	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 368दिनांक05 / 02 / 2018.	
परियोजना की श्रेणी	बी-1,	
टॉर स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर प्रस्तावित किया है।	
Description of Project	It is a stone quarry with a production capacity of 28,158 cubic meter per year having a lease area of 2.50 hectares, previously EC was issued by DEIAA Singrauli at Khasra No. 86/2, Village- Basauda, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). Now we are applying for fresh EC in SEIAA as per SEIAA policy decision taken in SEIAA agenda 766th Dated 11/01/2023.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/ रॉकब्रेकर	Controlled blasting will be done by professionals. (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	कार्यालय, डिया सिंगरौली के पत्र क्र0. 25 दिनांक 05 / 04 / 2018 द्वारा स्टोन- 28,210cum per year हेतु ई.सी. जारी की गई थी।	
उत्पादन क्षमता	स्टोन- 28,158cum per year.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3647 दिनांक 17 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 6.12 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3647 दिनांक 17 / 10 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3647 दिनांक 17 / 10 / 2023 अनुसार आबादी एवं अन्य संस्थान 100 मीटर से अधिक दूरी पर है।	
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत / नगरपरिषद्	ग्रामपंचायत-जोगियानी, जिला-सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र0. निरंक दिनांक 02 / 10 / 2017 पर दर्ज है।	
जल / वायु सम्मति संबंधी जानकारी	Validity of consent (Valid up to)- 07/06/2022.	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed – No Tree only shrubs are existed	
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक नाला लीज क्षेत्र से लगा हुआ है। पीपी द्वारा 50 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया गया है। उत्तर पूर्व दिशा में ब्रिज लगभग 186 मी.	

	पूर्व दिशा-पक्का रोड लगभग 430 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. -43 के सरल क्रमांक-91 पर दर्ज है।

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 25/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री विकास बंसल ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्णचंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारी मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. ईआईए रिपोर्ट में टॉर कम्पलाईन्स के अन्तर्गत दी गई बिन्दुवार जानकारी में Noted उल्लेख किया गया है, ईआईए के किस चेप्टर में जानकारी दी गई है उन बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना चाहिये अतः टॉर कम्पलाईन्स की संशोधित जानकारी प्रस्तुत करें।
2. सतही जल गुणवत्ता के मॉनिटरिंग लोकेशन के बिन्दुओं SW-1, SW-2 की जाँच पुनः की जाकर परिणाम प्रस्तुत करें। मृदा जाँच में SAR पैरामीटर की जाँच की जाकर प्रस्तुत करें।
3. लीज क्षेत्र के 250 मी. पर स्थित आबादी स्थल बासौदा पर AAQ एवं Noise गुणवत्ता की 01 माह की अवधि हेतु मापन कर परिणाम प्रस्तुत करें।
4. भू-जल गुणवत्ता, सरफेस जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता के परिणामों को निर्धारित मापदण्डों तथा प्रस्तावित ईएमपी के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत किया जाये।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार समीप के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

2. Case No.11198/2024 Shri Dhiraj Garg, Partner, R/o F-29, Gandhi Nagar, District-Gwalior (MP)-474002,Prior Environment Clearance for Biloua Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (100000 cum per year) (Khasra No. 3624/1), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [448830] [DEIAA] (EIA)

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 744वीं बैठक दिनांक 29/04/2024 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	धीरज गर्ग, निवासी –ए फ-29, गांधी नगर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	3624/1 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 hectare. हेक्टेयर शासकीय भूमि
स्थल	ग्राम बिलोआ, तहसील डाबरा, जिला ग्वालियर
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक –क्यु-एल-70/2016/1230, दिनांक 26.10.2016 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1176/DEIAA/न.क./2016 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा पत्थर-1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 1,00,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मी.की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यु एल-70/2016/1781 दिनांक 14.11.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में 32 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 58.334 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यु एल-70/2016/1781 दिनांक 14.11.

	2023 अनुसार 10 किलोमी.की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मी.में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यु एल-70/2016/1781दिनांक 14.11.2023 अनुसार 500 मी.की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पीथमपुर, जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27.12.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है ।
प्रस्तावितस्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No existing tree
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में 40 मी.पर पक्की सड़क है उत्तर दिशा में 260 मी.पर औद्योगिक क्षेत्र है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सिरियल क्रमांक-45 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू है ।

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26.03.2025 को परियोजना प्रस्तावक धीरज गर्ग, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

- प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कुल 33 (प्रस्तावित खदान सहित) खदानें संचालित है, जिनका विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया गया है। खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण

स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान तैयार कर लिया गया है। आस पास के ड्रेनेज व्यवस्था का बनाये रखने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र जो कि बिलौआ क्लस्टर में स्थित है जिसके लिए सम्पूर्ण क्लस्टर के चारों तरफ catch ड्रेन बनायीं जायेगी जिसकी लम्बाई 12604 मीटर है एवं गहराई 2 m होगी ,साथ ही 58 siltation pond बनाये जायेंगे। इसका विवरण EIA के chapter 6 में सम्मिलित कर दिया गया है।
- खदान संचालको के समय ब्लास्टिंग के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेच) के ओए नम्बर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार न्यूनतम दूरी 200 मीटर तथा नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर के नियमों का पालन किया। उत्तर दिशा में 125 मीटर नहर होने के कारण 75 मीटर का क्षेत्र नॉन माइनिंग के लिए छोड़ा जायेगा।
- उत्तर दिशा में 45 मीटर पर एक हालेज रोड है जिसका उपयोग आस-पास के लीज धारकों द्वारा परिवहन के उपयोग में लाया जाता है।
- लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।
- खनन कार्य भू-सतह से 36 मीटर तक प्रस्तावित है क्षेत्र में भू-जल स्तर 40-50 मीटर तक गहराई पर है। अतः खनन कार्य से भू-जल पर कोई भी दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार डोलोमाइट उत्पादन क्षमता -100000 घन मी./वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.51 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.90 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण किये जायें
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.25 लाख :-

क्रमांक	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.)
1.	श्री अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम बिलौआ में किये जायेंगे।	1,00,000

2.	ग्राम बिलौआ के भासकीय कन्या विद्यालय मे सौलर पैनल स्थपित कियेजायेगे।	2,00,000
3.	ग्राम बिलौआ के शासकीय कन्या विद्यालय में वैज्ञानिक उपकरण एवं उससे संबंधित चित्र एवं पोस्टर दिए जायेंगे।	25,000
कुल		3,25,000

3. Case No.11144/2024 Shri Mirender Gupta, Lessee, R/o 18, Krishna Colony, Padav, District-Gwalior, (MP)-474002 Prior Environment Clearance for Biloua Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (40000 cum per year) (Khasra No. 3717/2), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [448731] [DEIAA] (For EIA).

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 742वीं बैठक दिनांक 26/04/2024 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मिरेन्द्र गुप्ता पिता श्री जे.पी. गुप्ता, निवासी – 18, श्री कृष्णा कॉलोनी, पाडव, ग्वालियर, जिला ग्वालियर म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3717/2 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 हेक्टेयर hectare.
स्थल	ग्राम बिलोआ, तहसील डाबरा, जिला ग्वालियर
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक –क्यु/एल.आई.डी.–29257/2022/11351, दिनांक 20.07.2022 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1180/DEIAA/न.क्र.1/2016 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 40,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यु.एल.आई.डी-29257/2022/1873, दिनांक 11.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 41 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 74.451 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यु.एल.आई.डी-29257/2022/1873, दिनांक

	11.12.2023अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यु.एलआईडी-29257/2022/1873,दिनांक 11.12.2023अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing -No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- 250 मी. पर हॉल रोड है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-75 के सिरियल क्रमांक-11 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26.03.2025 को परियोजना प्रस्तावक मिरेन्द्र गुप्ता, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट्स उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

- The project is for mining of mineral Stone (Gitti). Stone is used for a wide variety of purposes. The is mostly used as commonly crushed stone for use as an aggregate in construction projects. Crushed stone is used for road base, concrete aggregate, asphalt pavement aggregate, railroad ballast, filter stone in drain fields, and may other purposes.
- प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कुल 42 (प्रस्तावित खदान सहित) खदानें संचालित है, जिनका विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया गया है। खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है ।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान तैयार कर लिया गया है । प्रस्तावित खनन क्षेत्र लहरदार भूमि पर स्थित है जिसका ढलान दक्षिण पूर्वीदिशा में है । आस पास के ड्रेनेज व्यवस्था का बनाये रखने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र जो कि बिलौआ क्लस्टर में स्थित है जिसके लिए सम्पूर्ण क्लस्टर के चारों तरफ केच ड्रेन बनायीं जायेगी जिसकी लम्बाई 12604 मीटर है एवं गहराई 2 मी. होगी ,साथ ही 58 सिलटेशन पौण्डबनाये जायेंगे । इसका विवरण EIA के chapter 6 में सम्मिलित कर दिया गया है ।
- प्रस्तावित खदान में भू-जल दोहन नहीं किया जाएगा। क्लस्टर की सामूहिक 12604 मीटर लम्बी कैच एवं गारलैण्ड ड्रेन का निर्माण कर वर्षाजल को खदान के भीतर 58 सिलटेशन पौण्ड में भण्डारन किया जाएगा, जिसका उपयोग खनन गतिविधियों के लिए किया जाएगा। गर्मियों में जल की आवश्यकता पडने पर जल की आपूर्ति अधिकृत विक्रेता से खरीदकर पूरी जाएगी। यदि भू-जल दोहन का अनिवार्यता पडने पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन की जाएगी।
- प्रस्तावित खदान में भूजल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नहीं है क्योंकि खदान की उम्र तक ग्राउन्ड लेवल से 30 मीटर तक ही खुदाई की जावेगी जबकि इस क्षेत्र का वाटर लेवल 60-65 मीटर नीचे है
- परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर 700 मीटर लम्बी वाटर बाउण्ड मेकेडम से निर्मित पक्का पहुच मार्ग का निर्माण किया जायेगा जिसकी कुल लागत 6,30,000 रु होगी उक्त सड़क का उपयोग आस पास की अन्य खदान व हमारी खदान के द्वारा किया जाता है जो कि ग्राम क्षेत्र के बाहर से गुजरती है।इसका वर्णन ईआईए में किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक वन विभाग के परामर्श कराकर हरित पट्टी में 500 पौधे लगाये जायेंगे एवं साथ ही खदान को जोड़ने वाली पहुच सड़क पर 1000 मी. में दोनों तरफ एक एक लाईनो में 1000 पौधे लगाये जायेंगे। साथ ही वृक्षारोपण के लिए आस पास के गाँव बिलौआ के ग्रामिणों को 900 वृक्षवितरित किये जायेंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन (गिट्टी) उत्पादन क्षमता —40,000 घन मी./वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.03 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण किये जायें
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.50 लाख :—

क्रमांक	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.)
1.	पर्यावरण संरक्षण जागृति के लिए साईकिल रैली का आयोजन किया जायेगा।	25,000
2.	ग्राम बिलौआ के शासकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में सौर पैनल स्थापित करने हेतु राशि प्रदान की जायेगी।	2,00,000
3.	ग्राम बिलौआ के शासकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए वैज्ञानिक उपकरण एवं संबंधित चित्र व पोस्टर दिए जायेंगे।	25,000
कुल		2,50,000

4. Case No.11082/2023 M/s Shree Jee Stones, R/o Kali Mata Santar, Murar, District Gwalior (MP)-474004 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.50 ha. (33000 cum per year) (Khasra No. 3717/2), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [449066] [DEIAA] (TOR)

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 740वीं बैठक दिनांक 24/04/2024 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Prateek Khandelwal, M/s Shree Jee Stones, Partner, R/o Kali Mata Santar, Murar, District Gwalior (MP)-474004, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.50 ha. (33,000 cum per year) (Khasra No.-3717/2), Village-Bilaua, Tehsil - Dabra, District-Gwalior (MP) [449066] [DEIAA].
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-3717/2, एरिया-1.50 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. क्यू. एल. 68/2016 दिनांक 26/10/2016.
परियोजना की श्रेणी	बी-1.
टॉर	प्रस्तावित।
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled blasting will be carried out using delay detonators.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC issued DEIAA Gwalior issued vide letter no. 1198 dated 22/07/2017. (Capacity - 40,000 M ³ / Year).
उत्पादन क्षमता	➤ स्टोन -33,000 घनमीटर/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1792 दिनांक 22/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 18 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 29.604 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1792 दिनांक 22/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1792 दिनांक 22/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ ठहराव प्रस्ताव के संबंध में अपना आवेदन-पत्र दिनांक 16/12/23 के माध्यम से सिया कार्यालय को संबोधित है प्रस्तुत करते हुये सेक कार्यालय में तकनीकी प्रस्तुतीकरण के पूर्व जमा कराने का निवेदन किया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।
जल/वायु सम्मति वैधता	PCB ID 12504, CTO letter issued dt. 05/12/2022. Air/Water Consent Valid up to 02/05/2027.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. –25 के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 24/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Prateek Khandelwal, M/s Shree Jee Stones, Partner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Amit Saxena, M/s Apex Mintech Consultants, (Rajasthan). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

- प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कुल 19 (प्रस्तावित खदान सहित) खदानें संचालित हैं, जिनका विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया गया है। खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृती की शर्तों अनुपालन किया जा रहा है जिसका विस्तृत विवरण ईआईए में किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान तैयार कर लिया गया है । प्रस्तावित खनन क्षेत्र लहरदार भूमि पर स्थित है जिसका ढलान पूर्व दिशा में है । आस पास के ड्रेनेज व्यवस्था का बनाये रखने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र जो कि बिलौआ क्लस्टर मे स्थित है जिसके लिए सम्पूर्ण क्लस्टर के चारों तरफ बंजबी ड्रेन बनायीं जायेगी जिसकी लम्बाई 12,604 मीटर है एवं गहराई 2 मी.होगी ,साथ ही 58 siltation pond बनाये जायेंगे। इसका विवरण EIA के chapter 4 में सम्मिलित कर दिया गया है । एवं उसकी छाया प्रति नीचे प्रस्तुत की गई है।

- प्रस्तावित खदान में भू-जल दोहन नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित खदान कलस्टर में स्थित होने के कारण कलस्टर कैचमेन्ट बनाया जायेगा जिसकी कुल लम्बाई 12604 मीटर लम्बी कैच एवं गारलैण्ड नालियों का निर्माण कर वर्षाजल को कलस्टर के भीतर 58 सिलटेशन पौण्ड में भण्डारन किया जाएगा, जिसका उपयोग खनन गतिविधियों के लिए किया जाएगा। गर्मियों में जल की आवश्यकता पड़ने पर जल की आपूर्ति अधिकृत विक्रेता से खरीदकर पूरी जाएगी। यदि भू-जल दोहन का अनिवार्यता पड़ने पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन की जाएगी।
- प्रस्तावित खदान में भूजल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नहीं है क्योंकि खदान की उम्र तक ग्राउन्ड लेवल से 33 मीटर तक ही खुदाई की जावेगी जबकि इस क्षेत्र का वाटर लेवल 60-65 मीटर नीचे है जिसका विवरण EIA/EMP में दिया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर 250 मीटर लम्बी वाटर बाउण्ड मेकेडम से निर्मित पक्का पहुच मार्ग का निर्माण किया जायेगा जिसकी कुल लागत 1,25,000 रु होगी उक्त सड़क का उपयोग आस पास की अन्य खदान व हमारी खदान के द्वारा किया जाता है जो कि ग्राम क्षेत्र के बाहर गुजरती है। इसका वर्णन EIA में किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक वन विभाग के परामर्श से खदान को जोड़ने वाली पहुंच सड़क पर 600 मी. में दोनों तरफ दो दो लाईनो में 600 पौधें लगाये जायेगे। साथ ही वृक्षारोपण के लिए आस पास के गाँव बिलौआ के ग्रामिणों को 1200 वृक्षवितरित किये जायेंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन उत्पादन क्षमता -33,000 घन मी./वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.65 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.86 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण किये जायें
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख :-

क्रमांक	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.)
1.	ग्राम बिलौआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वॉटर कूलर के साथ वॉटर फ़िल्टर लगवाया जायेगा	50,000
2.	ग्राम बिलौआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सौलर पैनल स्थापित करने हेतु राशि प्रदान की जायेगी ।	1,00,000
कुल		1,50,000

5. **Case No 10459/2023 Shri Gulab Baghel, Owner, R/o 244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur (MP)-482003, Prior Environment Clearance for Khurshi Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (18062 cum per year) (Khasra No. 26P), Village-Manegaon, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) EIA.**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 740वीं बैठक दिनांक 24/04/2024 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GULAB BAGHEL, Owner, R/O-244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	26 Part(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.0 Hectare
स्थल	Village- Khurshi, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 14326 दिनांक 18/10/22 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 141 दिनांक 08/11/17 के द्वारा पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा एवरेज पत्थर-18,062 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार एवरेज पत्थर-18,062 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 478 दिनांक 06/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 478 दिनांक 06/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 478 दिनांक 06/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर ने पत्र क्रमांक 519 दिनांक 12/07/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण प्रक्रिया का पालन हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान से संबंधित जानकारी सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 26/03/25 को परियोजना प्रस्तावक श्री गुलाब बघेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, मेसर्स एको डिजानिंग इंजीनियरिंग, नोयडा, उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. ईआईए रिपोर्ट के परीक्षण में पीएम-2.5 एवं पीएम-10 की बेस डाटा परिणाम अधिक पाई गई है, अतः ई.एम.पी. योजना में इसको विचार कर प्रदूषण प्रबंधन हेतु प्रस्ताव दिया जाये ।
2. सतही जल गुणवत्ता के मॉनिटरिंग लोकेशन के परियट नदी एवं नर्मदा नदी के मॉनिटरिंग परिणाम संदेहास्पद हैं अतः इन लोकेशन की जाँच पुनः की जाकर परिणाम प्रस्तुत करें ।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

6. Case No 10458/2023 Smt. Anju Baghel, Owner, R/o 244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur (MP)-482003, Prior Environment Clearance for Khurshi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (55651 cum per year) (Khasra No. 26P), Village-Khurshi, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP). (EIA).

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 679वीं बैठक दिनांक 14/09/2023 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	ANJU BAGHEL, Owner, R/O-244, Sanjeevani Nagar, Garha, District-Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	26 Part (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Khurshi, Tehsil- Jabalpur, Dist- Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 14328 दिनांक 18/10/22 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना के पेज नं.-22 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेटल पत्थर-55,651 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-55,651 घनमीटर/वर्ष है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 144 दिनांक 08/11/17 के द्वारा पत्थर-1,20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 479 दिनांक 06/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 479 दिनांक 06/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं	

	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 479 दिनांक 06/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 12/04/10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर ने पत्र क्रमांक 520 दिनांक 12/07/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण प्रक्रिया का पालन हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान से संबंधित जानकारी सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 26/03/25 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अंजु बघेल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, मेसर्स एम्बिएंटल ग्लोबल प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. ईआईए रिपोर्ट के परीक्षण में पीएम-2.5 एवं पीएम-10 की बेस डाटा परिणाम अधिक पाई गई है, अतः ई.एम.पी. योजना में इसको विचार कर प्रदूषण प्रबंधन हेतु प्रस्ताव दिया जाये ।
2. सतही जल गुणवत्ता के मॉनिटरिंग लोकेशन के परियट नदी एवं नर्मदा नदी के मॉनिटरिंग परिणाम संदेहास्पद हैं अतः इन लोकेशन की जाँच पुनः की जाकर परिणाम प्रस्तुत करें ।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/ टीका-टिप्पणी के अनुसार शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

7. Case No 10732/2023 Shri Narendra Sihare, Proprietor, M/s Pooja Mineral, Tilak Ward, Ward No. 20, Civil Line, District-Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Mugdara Dolomite Mines in an area of 2.22 ha. (Dolomite-20246, Laterite Soil-4600, OB-1065 TPA) (Khasra No.843), Village-Mugdara, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) [DEIAA] (EIA)

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 706वीं बैठक दिनांक 28/12/2023 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri NARENDRA SIHARE, Proprietor, Pooja Mineral, Tilak Ward, Ward no. 20, Civil Line, Mandla (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	843 (निजी परियोजना प्रस्तावक स्वयं की-नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.22 hectare.
स्थल	Village – Mugdara , Tehsil – Nainpur , Mandla District (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 836 दिनांक 12/06/2017 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लैस्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मण्डला के पत्र क्रमांक 38 दिनांक 17/08/2016 के द्वारा पत्थर-20,500 एमटीपीए हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट-20,246 टीपीए, Lateritic soil-4600 टीपीए एवं OB-1065 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार डोलोमाइट-20246 टीपीए एवं OB 6999 टीपीए है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 31.673 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं

	है और आवेदित स्थल आर.एफ.-703 की सीमा लाईन से लगा हुआ है । पट्टेदार को उत्खनिपट्टा दिनांक 22/12/93 को स्वीकृत है । मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-5/16/81/10-3, भोपाल दिनांक 07/10/02 की कण्डिका-2(छ) अनुसार वर्ष 2002 से पूर्व स्वीकृत उत्खनिपट्टा में 250 मीटर की दूरी में स्वीकृत उत्खनि रियायत के संबंध में गठित समिति संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुगदरा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक -12 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-35 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2026 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री इन्द्रराज एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्वाइटिव इन्वायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

- The mining lease was operated by lease M/s Pooja Mineral, Tilak ward, Civil line, Mandla (M.P.). The mining lease was granted for 50 years period w.e.f. 22.12.1993 to 21.1.2043. PP was applied at SEIAA for obtaining EC in the year 2015 (date of application-7.11.2015 (case no.4287/2015).
- As per the notification of MoEF&CC dated 15.01.2016, SEIAA transferred the case to DEIAA in 316th SEIAA meeting dated 11.04.16. Case transferred to DEIAA, Mandla vide letter no. F3-96/93/12/2 dtd. 13-04-2016.
- Copy of list of transferred case to DEIAA is shown next slide. After submission of case in front of DEIAA, DEIAA grant the EC vide letter no. 38/DEIAA/2016 dated 17.08.2016, production – 20500TPA with crusher.
- Accordance to order of Hon'ble NGT, lessee was applied at SEIAA for reappraisal.
- कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा), मंडला के द्वारा जारी किए गए एकल पत्र के अनुसार उपरोक्त खदान से 500मीटर की परिधि में कुल 6 अन्य खदाने संचालित हैं जिसमें से एक खदान जो कि लगी हुई है और

खदान संचालक की है। वह अभी पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में बंद है तथा दो अन्य खदाने संचालित है। हमारे द्वारा पूर्व में डिया, मंडला के द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का पालन किया जा रहा है जिसका प्रतिवेदन ईआईए रिपोर्ट के साथ संलग्न है। अन्य खदानों के प्रस्तावकों के द्वारा पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं यह हमारे द्वारा बताया जाना संभव नहीं है

- हमारे द्वारा पूर्व में डिया, मंडला के द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का पालन किया जा रहा है जिसका प्रतिवेदन ईआईए रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- खदान क्षेत्र का भूजल स्तर जमीन से 30 से 40मी नीचे है एवं खदान में कार्य जमीन से 14मीटर नीचे किया जाएगा अतः भूजल का प्रतिछेदन संभव नहीं है। हमारे द्वारा पिट एवं गड्ढे में भरे हुए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमारे द्वारा भूजल का दोहन किया जाना प्रस्तावित हुआ तो हमारे द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए आदेशों/दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा
- खदान क्षेत्र का भूजल स्तर जमीन से 30 से 40मी नीचे है एवं खदान में कार्य जमीन से 14मीटर नीचे किया जाएगा अतः भूजल का प्रतिछेदन संभव नहीं है। हमारे द्वारा पिट एवं गड्ढे में भरे हुए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा।
- No villages or habitation is observed along the approach road. Numbers of mine observed in within 500m radius and pakka road will be construct with cooperation of all mine's owners.
- Presently 200 trees are already planted within lease area.
- Two Pucca Road existed at a distance of 200 meter in the west direction and 228 meter at east direction.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता — **Dolomite-20246, Laterite Soil-4600, OB-1065 TPA**।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.89 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 06.40 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 1130 वृक्षों का वृक्षारोपण किये जायें
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.75 लाख :—

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	Issues	Cost in lakh
1	2 complete bed, at primary Health center of Mugdara, 5KW Solar plant	Rs 2.50
2	Half yearly free health check-up camp for villagers i.e. Mugdara etc	Rs 0.25
	Total	Rs 2.75Lakh

8. Case No 11029/2023 Shri Rakesh Agrawal, Partner, G-11, Chouraha Scheme No. 94, District-Indore (MP)-451010, Prior Environment Clearance for Khandwa Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (20580 cum per year) (Khasra No. 639, 645), Village-Kiloli, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [449917] [DEIAA] (EIA)

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 706वीं बैठक दिनांक 28/12/2023 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rakesh Agrawal, Owner, G I 1 Chouraha Scheme No. 94 Indore District Indore (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	639, 645(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.00 hectare.
स्थल	Village Kiloli Tehsil Dhar District Dhar (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 506 दिनांक 24/08/17 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 145 दिनांक 06/04/17 के द्वारा पत्थर-20,580 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-20,580 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-20,580 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 29/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 27.95 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 29/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 29/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में

	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खण्डवा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 12/03/2007 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा— पक्का रोड लगभग 417 मी. पूर्व दिशा— कुछ निर्माण कार्य दिख रहा है अतः इसका प्रमाणिकरण दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे की यह निजी मकान है अथवा श्रमिकों के रेस्ट सेल्टर ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक-48 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया की प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में एक जल संरचना खदान के समीप स्थित है अतः परियोजना प्रस्तावक से इसके निर्माण के स्वरूप , उपयोगिता एवं यह संरचना प्राकृतिक है अथवा मानव निर्मित है के बारे में विस्तृत जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। यह भी निर्देश दिये की यदि ये संरचना किसी योजना के तहत निर्मित है और इस संरचना के जल का उपयोग मवेशियों के लिये पेयजल के रूप में हो रहा हो तो प्रकरण ब्लास्टिंग के रूप में मान्य नहीं होगा ।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल अग्रवाल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंगेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि.

- प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कुल 10 (प्रस्तावित खदान सहित) खदानें संचालित हैं, जिनका विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया गया है। खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है जिसका विवरण ईआईए में दिया गया है। प्रस्तावित खदान को पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति DEIAA, धार जिला धार के पत्र क्रमांक 145/डिया/2017 दिनांक 6.04.2017 को जारी हुई है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान तैयार कर लिया गया है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र ढलाननूमा भूमि पर स्थित है जिसका कोमल ढलान SE और SW दिशा में है। आस पास के ड्रेनेज व्यवस्था का बनाये रखने के लिए प्रस्तावित कलस्टर के चारों तरफ बंजबी ड्रेन बनायीं जायेगी जिसकी लम्बाई 7937 एवं गेहेराई 2 Mt. होगी ,साथ ही 28 siltation pond बनाये जायेंगे। इसका विवरण EIA केchapter 4 में सम्मिलित कर दिया गया है। ड्रेनेज प्लान के नक्शे की प्रति आगे सम्मिलित की गई है।
- परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तावित खदान कलस्टर के भीतर आती है, जिसके आसपास 9 अन्य खदान मौजूद है। इसके संबंध जिला खनिज अधिकारी द्वारा एकल प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसका पत्र क्रमांक 2384/खनिज/2023-24 धार दिनांक 29.11.2023 है। (एकल प्रमाण पत्र की प्रति आगे दी गई है)।
- प्रस्तावित खदान में खनन कार्य 20 मीटर तक ही किया जाएगा, जबकि भू-जल तालिका 60 मीटर से 65 मीटर पर स्थित है। इस प्रकार प्रस्तावित खदान से भू-जल का प्रतिछेदन नहीं होगा। भू-जल तालिका पूर्व में दिया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर 450 मीटर लम्बी वाटर बाउण्ड मेकेडम से निर्मित पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण किया जायेगा जिसकी कुल लागत 4,05,000 रु होगी उक्त सड़क का उपयोग आस पास की अन्य खदान व हमारी खदान के द्वारा किया जाता है जो कि ग्राम क्षेत्र के बाहर गुजरती है।
- परियोजना प्रस्तावक स्थानीय वन विभाग के परामर्श कराकर हरित पट्टी में 600 पौधे लगाये जायेंगे एवं साथ ही खदान को जोड़ने वाली पहुंच सड़क पर 450 मी. मे दोनों तरफ दो लाईनो में 300 पौधें लगाये जायेंगे। साथ ही खदान के आस पास 10 km की परिधि में आने वाले किसानों को 2400 फलदार वृक्ष बांटे जायेंगे खण्डवा गांव के स्कूल एवं मंदिर परिसी में 1500 पौधे लगाए जाएंगे। एवं नॉन माईनिंग क्षेत्र में 150 पौधे लगाए जायेंगे। इस प्रकार कुल 4950 पौधों का पौधारोपण किया जायेगा।

Table showing Environment Management Plan of Cluster

S. No.	Particulars	Capital Cost (Rs.)	Annual Cost (Rs.)
--------	-------------	--------------------	-------------------

1.	Preparation of Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 X 1m) having length 7937 meters (Cost 50 X 7937 meters = Rs. 3,96,850) and siltation ponds (Nos. 28) (dimensions 5.02 m X 3.0 m X 3.0 m) (Cost Rs. 10000 x Nos. 28 = Rs. 1,40,000/-) and maintenance Rs. 50000/-Per year	6,76,850	50,000
2.	Fencing up to 2 meters height around the catch drain length 8050 meters x 2 x 50 (length x 2 meters x @ 50/-) Cost Rs. 8,05,000 and maintenance Rs. 60,000 per year.	8,05,000	60,000
GRAND TOTAL		14,81,850	1,10,000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार **Stone (Gitti)** उत्पादन क्षमता — 20580 घन मीटर प्रति वर्ष ।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 25.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.79 लाख प्रति वर्ष ।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण किये जाये
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.50 लाख :—

क्रमांक	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.)
1.	ग्राम खण्डवा के शासकीय विद्यालय को वाटर कूलर की सुविधा और फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा	1,50,000
2.	ग्राम खण्डवा के शासकीय विद्यालय में सौर पैनल स्थापित करने हेतु राशि प्रदान की जायेगी ।	2,00,000
कुल योग		3,50,000

9. **Case No 10005/2023 Ms Navya Jindal, Partner, M/s Jindal Earth Mines, Village-Pingleshwar, Tehsil-Ujjain, District- Ujjain (MP), Prior Environment Clearance for Pingleshwar Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.80 ha. (81000 cum per year) (Khasra No. 343/1, 343/2 Govt.), Village-Pingleshwar, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 660 वीं बैठक दिनांक 14/07/2023 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Navya Jindal, Partner, M/S JINDAL EARTH MINES, situted near village Pingleshwar Tehsil and District Ujjain (MP)	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	343/1, 343/2 (Govt.)	2.8 Ha.
परियोजना स्थल	Village Pingleshwar, Tehsil & Dist. Ujjain (M. P.)	
परियोजना की श्रेणी (बी-1 / बी-2)	B-1 Stone (Gitti) Quarry	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.-12 अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	नई परियोजना	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति जारी की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-81,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.-16 पर पत्थर- पत्थर-81,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 958 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 09.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत	

	आता है । प्रकरण के (गूगल एमेज अनुसार इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त अन्य खदानों द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के शर्तों का पालन परिलक्षित नहीं हो रहा है, अतः इस विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 958 दिनांक 12/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 958 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत, पिंगलेश्वर जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/03/10 अनुसार खनन् कार्य हेतु हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	N/A
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा में रेल्वे लाईन 140 मीटर की दूरी पर है। इस संबंध में उनके द्वारा 60 मीटर का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है। प्राकृतिक नाला – 411 मीटर
	दक्षिण दिशा- कुछ शेड/मकान – 253 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है । चूंकि प्रकरण बी-1 श्रेणी का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो।

परियोजना प्रस्तावक नव्या जिंदल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स Apex Mitech Consultants, Udaipur द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 26/03/25 समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण या गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि –

- प्रस्तावित खदान में भूजल दोहन नहीं किया जाएगा। खनन गतिविधियों के लिए जल की आवश्यकता को वर्तमान पिट एवं सिल्टेशन पौन्ड से लिया जाएगा जिसमें वर्षोत्थु के दौरान वर्षाजल संग्रहित किया जाएगा। प्रस्तावित खदान में भूजल दोहन नहीं किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- प्रस्तावित खदान में भूजल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नहीं है क्योंकि खदान की लीज अवधि तक ग्राउन्ड लेवल से 45 मीटर तक ही खुदाई की जावेगी जबकि इस क्षेत्र का वाटर लेवल 50 से 55 मीटर नीचे है जिसका विवरण EIA/EMP में दिया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर 840 मीटर लम्बी वाटर बाउण्ड मेकेडमपहुच मार्ग का निर्माण किया जायेगा जिसकी कुल लागत 7,56,000 रु होगी उक्त सड़क का उपयोग आस पास की अन्य खदान व हमारी खदान के द्वारा किया जाता है जो कि ग्राम क्षेत्र के बाहर से गुजरती है। इसका वर्णन EIA में किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक स्थानीय वन विभाग के परामर्श कर हरित पट्टी में 510 पौधे लगाये जायेंगे एवं साथ ही खदान को जोड़ने वाली पहुँच सड़क पर 840 मी. में दोनों तरफ दो लाईनो में 840 पौधें लगाये जायेंगे। साथ ही खदान के आस पास के गाँव में 2010 फलदार पौधे बांटे जायेंगे। इस प्रकार कुल 3360 पौधों का पोधारोपण किया जायेगा।
- क्लस्टर की सभी खदान संचालकों के सहयोग से पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा सुझाये स्थानों पर खदानों से होने वाले प्रदूषण जिसमें वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को दर्शाने के लिये निगरानी उपकरण प्रस्तावित खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के एक वर्ष के भीतर सभी खदान मालिकों के सहयोग से लगाया जायेगा। परियोजना की परिधि में पड़ने वाली खदानों के चारों ओर 2057 मीटर लम्बी कैचड्रेन, 12 सिल्टेशन पोण्ड सभी खदान संचालकों के वित्तीय सहयोग से मिलकर बनाएंगे। वर्षा जल के साथ बहने वाली मिट्टी, कंकड़ सिल्टेशन पौंड में जमा होते रहेंगे जिन्हे समय समय पर हटाया जायेगा ताकि स्वच्छ वर्षा जल आगे प्रवाहित होता रहेगा ।
- खनन पट्टे की परिधि से उत्तरी दिशा में 140 मीटर की दूरी पर रेलवे लाईन गुजरती है जिसके कारण 60 मी. का क्षेत्र नॉन माईनिंग के लिए छोड़ा जायेगा।

Cost of Environmental Management Plan of Cluster (all mining leases within the Cluster)

S. No.	Particulars	Capital Cost (Rs.)	Annual Cost (Rs.)
1	Construction of catch drain and garland drain (dimensions 1.5 m X 1 meters) (About 2057 meter long @ Rs. 50/-) and siltation ponds (6.0 m X 3.0 m X 3.0 m) (Rs. 10,000/- @ Nos. 12) and maintenance of Rs. 30,000/- per annum	114,850.0	30,000.0

2	About 1934 meter of wire fencing up to 2 meters height around mining pit @Rs. 500/- and overburden (if any) and annual maintenance of Rs. 20,000/-	967,000.0	20,000.0
Total EMP Cost for Cluster		1,081,850	50,000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार **Stone (Gitti)** उत्पादन क्षमता —81000 घन मीटर प्रति वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 28.21 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.54 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 3360 वृक्षों का वृक्षारोपण किये जायें
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.50 लाख :—

S. No.	Proposed activity	Annual recurring expenses (in Rs.)
1.	ग्रामतेजपुरकेशासकीयमाध्यमिकविद्यालयमेंपीनेयोग्यपानीकीव्यवस्थाकीजाएगी	1,00,000
2.	ग्राम तेजपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वैज्ञानिक उपकरण एवं इससे सम्बंधित वॉल पेंटिंग की जाएगी	50,000
	ग्रामतेजपुरकेशासकीयमाध्यमिकविद्यालयमें5 किलोवॉटकेसोलरपैनलकीस्थापनाकीजाएगी	2,00,000
Total		3,50,000

10. Case No. 2577/2025 Shri Sanjay Yadav S/o Shri Ramadhar Yadav, 40, Mahshweta Nagar, Ujjain (MP)-456006.Prior Environment Clearance for Stone & Murum Quarry in an area of 4.00 ha. (15,352 cum/year) at Village-Badkummed, Tehsil-Ujjain, Dist-Ujjain (MP). EC validity Extension.

This is a case of mining of Stone & Murum. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site is located at *Khasra No .-236, Vill-Badkummed, Teh.-Ujjain, Distt.-Ujjain* in 4.00 ha.

The case has been submitted for **for extension of validity of EC**, the scrutiny of the case reveals that:

- Earlier, the EC was recommended by SEAC in the 194th meeting dated 31.05.2015 issued by SEIAA vide no. 3573-74/SEIAA/15 date 15-07-15.
- PP has applied for EC transfer in the name of Shri Sanjay Yadav R/o 166, Shankarpur Makshi Road Ujjain (MP) , EC Transfer issued vide letter no. 2395-96/SEIAA/22 dated 20-12-22.
- As per MoEF&CC O.M. Dated 12.04.2022 the prescribed validity of prior EC is 10 years from the date of issue. Further, the validity of EC can be extended / modified if application for the same is made before expiry of the validity of current EC.

In view of above facts it was observed by the committee that the application for amendment of EC has been submitted before the expiry of the validity period of current EC.

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स Apex Mintech Consultants, Udaipur द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 26/03/25 समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । **प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी गई:-**

खनन योजना एवं प्रगतिशील खान समापन योजना मध्यप्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 42(सी) के तहत प्रस्तावित खनिज स्टोन (गिट्टी) के 15,352 घनमीटर प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिए तैयार की गई तथा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। इसे क्षेत्रीय प्रमुख, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, इंदौर द्वारा पत्र क्रमांक 381, इंदौर दिनांक 07.03.2022 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके पश्चात, पट्टाधारक श्री संजय यादव ने पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु SEIAA, भोपाल में फॉर्म 7 के माध्यम से आवेदन किया। इसके उपरांत, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई, जिसकी वैधता 21.12.2021 से 04.12.2024 तक थी। यह स्वीकृति पत्र क्रमांक 2395/SEIAA/22 दिनांक 20.02.2022 के

तहत श्री संजय यादव के पक्ष में जारी किया गया। पट्टा धारक श्री संजय यादव ने 28.04.2023 को अगले 10 वर्षों के लिए लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम 1996 के नियम 6, 18(1), 21(2) एवं 22 के तहत पत्र क्रमांक 6071/खनिज/यू.पी./ना.क्रा./2023-24, उज्जैन दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष अर्थात् 5.12.2024 से 4.12.2034 नवीनीकरण हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया गया। खनन योजना एवं प्रगतिशील खान समापन योजना मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 42(सी) के तहत प्रस्तावित खनिज स्टोन (गिट्टी) 15,352 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन के लिए तैयार की गई एवं सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। इसे क्षेत्रीय प्रमुख, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, इंदौर द्वारा पत्र क्रमांक 38803, इंदौर दिनांक 10.06.2023 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।

- खनन पट्टा समझौता 05.12.2014 को निष्पादित और पंजीकृत किया गया था, जो 10 वर्षों की अवधि अर्थात् 05.12.2014 से 04.12.2024 तक के लिए था।
- इसके बाद, पट्टा धारक श्री संजय यादव ने दिनांक 28.06.2021 को लीज हस्तांतरण हेतु आवेदन किया, जो कि श्री संजय यादव, पिता श्री रामाधार यादव, निवासी 166, शंकरपुर, मकसी रोड, जिला उज्जैन, उज्जैन के पक्ष में था।
- आवेदन स्वीकृत कर दिया गया और जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन द्वारा मध्य (प्र.म) प्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 35(1) के तहत पत्र क्रमांक 1671/यू.क्र.ना/पी.39-13/खनिज/2021-22, उज्जैन, दिनांक 22.12.2021 के माध्यम से लीज स्थानांतरित कर दी गई।
- खनन योजना एवं प्रगतिशील खान समापन योजना मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 42(सी) के (गिट्टी) के तहत प्रस्तावित खनिज स्टोन (15,352 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन के लिए तैयार की गई तथा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। इसे क्षेत्रीय प्रमुख, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, इंदौर द्वारा पत्र क्रमांक 381, इंदौर दिनांक 07.03.2022 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई। इसके पश्चात, पट्टा धारक श्री संजय यादव ने पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण हेतु SEIAA, भोपाल में फॉर्म 7 के माध्यम से आवेदन किया।
- इसके उपरांत, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, भोपाल द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई, जिसकी वैधता 21.12.2021 से 04.12.2024 तक थी। यह स्वीकृति पत्र क्रमांक

2395/SEIAA/22 दिनांक 20.02.2022 के तहत श्री संजय यादव के पक्ष में जारी किया गया। पट्टा धारक श्री संजय यादव ने 28.04.2023 को अगले 10 वर्षों के लिए लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन द्वा. (.प्र.म)रा मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम 1996 के नियम 6, 18(1), 21(2) एवं 22 के तहत पत्र क्रमांक 6071/खनिज/.क्रा.ना/.पी.यू./2023-24, उज्जैन दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष अर्थात् 5.12.2024 से 4.12.2034 नवीनीकरण हेतु आशय पत्र)Letter of Intent) जारी किया गया।

- खनन योजना एवं प्रगतिशील खान समापन योजना मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 42(सी (गिट्टी) के तहत प्रस्तावित खनिज स्टोन (15,352 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन के लिए तैयार की गई एवं सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई। इसे क्षेत्रीय प्रमुख, भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, इंदौर द्वारा पत्र क्रमांक 38803, इंदौर दिनांक 10.06.2023 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।

PP further submitted following details of the project:

	The purpose of this report is to get Validity Extension in Environmental Clearance from SEIAA, Bhopal in respect Badhkummed Stone (Gitti) Quarry, situated in Survey No. 236 (Government Land), having an area of 3.00 Ha., situated near village Badhkummed, Tehsil & District Ujjain Madhya Pradesh for proposed production capacity is 15,352 cubic meters of Stone (Gitti).
	Initially, the quarry lease for mineral Stone (Gitti) and Murrum was granted in favour of Shri Sanjay Mehta, S/o Shri Pratap Mehta, R/o 40, Mahshweta Nagar, Ujjain (Madhya Pradesh), Under Rule 18(2) of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, by the District Collector (Khanij Branch), Ujjain, for a period of 10 years.
	The Environment Clearance has been obtained from State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Bhopal for a targeted production Stone (Gitti) 15,352 and Murrum 6,141 cum per annum vide letter No. 3573/SEIAA/15 dated 15.07.2015 for the above mentioned mining project.

	Mining lease agreement has been executed and registered on 5.12.2014 for a period of 10 years i.e. from 5.12.2014 to 4.12.2024.
	Thereafter, State Environment Impact Assessment Authority, Bhopal issued Environment Clearance with validity from 21.12.2021 to 4.12.2024 in favour of Shri Sanjay Yadav vide letter No. 2395/SEIAA/22 dated 20.02.2022.
	The lessee Shri Sanjay Yadav has been applied on 28.04.2023 for lease renewal for next 10 years. The renewal Letter of Intent has been issued by District Collector (Khanij Branch) Ujjain (M.P.) vide letter no. 6071/Khanij/U.P./Na. kra /2023-24 Ujjain Date 21.09.2023 Under Rule 6, 18(1), 21(2) & 22 of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules 1996 over an area of 3.00 Ha.
	The Mining Scheme & Progressive Mine Closure Plan has been prepared for Proposed production of Mineral Stone (Gitti) 15,352 cum per annum and submitted to competent authority Under Rule 42 (C) of Madhya Pradesh Minor mineral rules, 1996. The same was approved by Regional Head Directorate of Geology & Mining, Indore, vide letter No. 38803, Indore date 10.06.2023 in name of proponent Shri Sanjay Yadav.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति, लीज वैधता अवधि तक बढ़ाये जाने की अनुशंसा करती है।

11. Case No. 2575/2025 Shri Sanjay Yadav S/o Shri Ramadhar Yadav, 40, Mahshweta Nagar, Ujjain (MP)-456006.Prior Environment Clearance for Stone & Murum Quarry in an area of 4.00 ha. (15,352 cum/year) at Village-Badkummed, Tehsil-Ujjain, Dist-Ujjain (MP). EC validity Extension.

This is a case of mining of –Stone & Murram. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site is located at –*Khasra No.-236, Vill-Badkummed, Tehsil-Ujjain, Distt-Ujjain* in 4.00ha.

The case has been submitted for **for extension of validity of EC**. The scrutiny of the case reveals that:

- Earlier, the EC was recommended by SEAC in the 194th meeting dated 31.05.2015 issued by SEIAA vide no. 3758-59/SEIAA/15 dated 16-07-2015.
- EC Transfer issued vide letter no. 948-49 dated 24-07-2023

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स Apex Mintech Consultants, Udaipur द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 26/03/25 समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

इस प्रतिवेदन का उद्देश्य SEIAA, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता विस्तार प्राप्त करना है, जो कि बक<खुम्मेदस्टोन (गिट्टी) खदान के लिए है, जो कि सर्वेक्षण क्रमांक 236 (शासकीय भूमि) में स्थित है, जिसकी क्षेत्रफल 3.70 हेक्टेयर है, जो ग्राम बक<खुम्मेद, तहसील एवं जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश के समीप स्थित है, तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 17,328 घनमीटर स्टोन (गिट्टी) की है।

प्रारंभ में, खनिज स्टोन (गिट्टी) एवं मुर्रम की खदान पट्टा श्रीमती आशा मेहता, पत्नी श्री संजय मेहता, निवासी 40, महाश्वेता नगर, उज्जैन (मध्यप्रदेश) के पक्ष में मध्यप्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 18(2) के अंतर्गत जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन द्वारा 10 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था।

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी, जिसमें लक्षित उत्पादन स्टोन (गिट्टी) 17,328 एवं मुर्रम 5,776 घनमीटर प्रति वर्ष अनुमोदित किया गया था, जिसका पत्र क्रमांक 3578/SEIAA/15 दिनांक 16.07.2015 के माध्यम से स्वीकृत किया गया था।

खननपट्टा अनुबंध 5.12.2024 को निष्पादित एवं पंजीकृत किया गया, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् 5.12.2014 से 4.12.2024 तक है। इसके पश्चात्, पट्टा धारक श्रीमती आशा यादव ने 8.09.2022 को पट्टा हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो कि श्री शुभम यादव, पुत्र श्री रामाधार यादव, निवासी 166, शंकरपुर, मकसी रोड, उज्जैन जिला उज्जैन के पक्ष में था।

आवेदन स्वीकृत हो गया, अतः जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 35(1) के तहत पत्र क्रमांक 1628/यू.पी./ना.क्र./37-13/खनिज/2022-23, उज्जैन, दिनांक 20.09.2022 के माध्यम से पट्टा हस्तांतरित कर दिया गया।

- इसके पश्चात, पट्टा धारक श्रीमती आशा यादव ने 8.09.2022 को पट्टा हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो कि श्री शुभम यादव, पुत्र श्री रामाधार यादव, निवासी 166, शंकरपुर, मक्सी रोड, उज्जैन जिला उज्जैन के पक्ष में था।
- आवेदन स्वीकृत हो गया, अतः जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश (प्र.म) लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 35(1) के तहत पत्र क्रमांक 1628/यू.क्र.ना/पी.37-13/खनिज/2022-23, उज्जैन, दिनांक 20.09.2022 के माध्यम से पट्टा हस्तांतरित कर दिया गया।
- इसके पश्चात, पट्टा धारक श्रीमती आशा यादव ने 8.09.2022 को पट्टा हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो कि श्री शुभम यादव, पुत्र श्री रामाधार यादव, निवासी 166, शंकरपुर, मक्सी रोड, उज्जैन जिला उज्जैन के पक्ष में था।
- आवेदन स्वीकृत हो गया, अतः जिला कलेक्टर (खनिज शाखा), उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश (प्र.म) लघु खनिज नियम, 1996 के नियम 35(1) के तहत पत्र क्रमांक 1628/यू.क्र.ना/पी.37-13/खनिज/2022-23, उज्जैन, दिनांक 20.09.2022 के माध्यम से पट्टा हस्तांतरित कर दिया गया।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति, लीज वैधता अवधि तक बढ़ाये जाने की अनुशंसा करती है।

12. **Case No. P2/1123/2025 Shri Siddhant Gupta, Director, M/s JAKSON BIOFUELS PRIVATE LIMITED, Khasra. No. 17/18(1-100) Taj Pur Road Village- Singhola Opp. Kusum Farm Delhi North Delhi, 110040, Transfer of Environment Clearance (EC) granted by MoEF&CC, New Delhi for Greenfield Project of 150 KLD Grain Based Ethanol Plant along with 4.0 MW Co-generation Power Plant located at Village-Basi, Teh- Waraseoni, District- Balaghat, M.P. from M/s Ethan Natural Bio-Fuel Private Limited to M/s Jakson Biofuels Private Limited. Total Land Area - 10.83 Ha.. Cat. - 5(ga) Grain based distilleries. EC Transfer Case .**

This is a **transfer of Environment Clearance (EC)** granted by MoEF&CC, New Delhi Vide EC Identification No. - EC22A060MP110018 and File No. IA-J-11011/338/2022-IA-II(I), dated:- 27.09.2022 for Greenfield Project of 150 KLD Grain Based Ethanol Plant along with 4.0 MW Co-generation Power Plant located at Village-Basi, Teh- Waraseoni, District- Balaghat, M.P. **from M/s Ethan Natural Bio-Fuel Private Limited to M/s Jakson Biofuels Private Limited**

Form 7– Details		
SN	Projects Details	
1.	Online Proposal No	MP/IND2/514928/2024.
2.	Proposal /Activity Name/ Location of Project	Shri Siddhant Gupta, Director, M/s JAKSON BIOFUELS PRIVATE LIMITED, Kh. No. 17/18(1-100) Taj Pur Road Village- Singhola Opp. Kusum Farm Delhi North Delhi, 110040,Transfer of Environment Clearance (EC) granted by MoEF&CC, New Delhi Vide EC Identification No. - EC22A060MP110018 and File No. IA-J-11011/338/2022-IA-II(I), dated:- 27.09.2022 for Greenfield Project of 150 KLD Grain Based Ethanol Plant along with 4.0 MW Co-generation Power Plant located at Village-Basi, Teh- Waraseoni, District- Balaghat, M.P. from M/s Ethan Natural Bio-Fuel Private Limited to M/s Jakson Biofuels Private Limited.Total Land Area-10.83 Ha..Cat. - 5(ga) Grain based distilleries.FoR – EC Transfer Case.SIA/MP/IND2/5149282025.
3.	Proposal For	New (Greenfield Project).
4.	Description of Project	The name of our company has been changed from M/s Ethan Natural Bio-Fuels Private Limited to M/s Jackson Biofuels Private Limited on 27.08.2024. Therefore we are applying for transfer of environment clearance granted by MoEF&CC, New Delhi vide EC Identification No. - EC22A060MP110018 and File No. IA-J-11011/338/2022-IA-II(I), dated:- 27.09.2022 from M/s Ethan Natural Bio-Fuel Private Limited to M/s Jackson Biofuels Private Limited.
5.	Previous EC details	M/s Ethan Natural Bio-Fuels Private Limited vide EC Identification No. EC22A060MP110018, F.No. IA-J-11011/338/2022-IA-II(I)

		dated:-27.09.2022 for setting up Greenfield Project of 150 KLD Grain Based Ethanol Plant along with 4.0 MW Co-generation Power Plant located at Village-Basi, Teh- Waraseoni, District- Balaghat, M.P.		
6.	Status of Implementation of Project or Activity?	Project is operational for complete components/units envisaged in the EC.		
7.	Consent obtained from SPCB/UTPCC	Outward No:119574,13/01/2024, AWH-59542, Date of latest consent issued- 13/01/2024. Validity of latest consent (valid up to)-31/12/2028.		
8.	Consent Product & Capacity	SN	Product	Production Capacity
			Ethanol	150 KLD
			Captive Power Plant	4 MW
			Carbon Di Oxide	76 TPD
				70 TPD
9.	No Objection from the transferor	Letter Copy of M/s Ethan Natural Bio-Fuels Private Limited- letter Copy dated 10/12/2024.uploaded on Parivesh Portal.		
10.	Undertaking by transferee Prior EC was granted.			
11.	Copy of Transfer of the firm from competent authority was granted.			
12.	Env. Consultant	Shri Sonu Prajapati , M/s. GRC India Pvt Ltd. Noida		

PP submitted that earlier Environment Clearance (EC) was granted by MoEF&CC, New Delhi in favour of M/s Ethan Natural Bio-Fuels Private Limited vide EC Identification No. EC22A060MP110018, F.No. IA-J-11011/338/2022-IA-II(I) dated:-27.09.2022 for setting up Greenfield Project of 150 KLD Grain Based Ethanol Plant along with 4.0 MW Co-generation Power Plant located at Village-Basi, Teh- Waraseoni, District- Balaghat, M.P. **Consent to Establish was obtained from Madhya Pradesh Pollution Control Board vide Consent No. CTE-57118 dated 21.11.2022.** Consent to Operate was obtained vide Consent No. AWH-59542 dated 13.01.2024. Thereafter, name of the company was changed from M/s Ethan Natural Bio-Fuel Private Limited to M/s Jakson Biofuels Private Limited on 27.08.2024. Hence, As per the provisions laid down under EIA Notification dated 14th September 2006 & amendment till date PP has initiated the process of transfer of Environment Clearance from M/s Ethan Natural Bio-Fuel Private Limited to M/s Jakson Biofuels Private Limited.

Following documents have been submitted:

- Notarized affidavit for NOC towards transfer of Environment clearance has been submitted by the pervious proponent
- Documents of Registrar firm and societies pertaining to change in name from Satguru Industries to Pioneer Industries .
- Copy of valid consent of Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Authorization under Hazardous and other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- Copy of environment clearance issued by MOEF&CC, EC Identification No. EC22A060MP110018, F.No. IA-J-11011/338/2022-IA-II(I) dated:-27.09.2022.

After deliberation committee decided to recommend the case for **transfer of environment clearance from previous project proponent M/s Ethan Natural Bio-Fuel Private Limited to M/s Jakson Biofuels Private Limited. Total Land Area - 10.83 Ha..Cat. - 5(ga) Grain based distilleries)for Greenfield Project of 150 KLD Grain Based Ethanol Plant along with 4.0 MW Co-generation Power Plant located at Village-Basi, Teh- Waraseoni, District- Balaghat, M.P. Subject to the following special conditions:**

- All the terms and condition as mentioned in the environment clearance issuedby by MoEF&CC, New DelhiEC Identification No. EC22A060MP110018, F.No. IA-J-11011/338/2022-IA-II(I) dated 27.09.2022 for setting up Greenfield Project of 150 KLD Grain Based Ethanol Plant along with 4.0 MW Co-generation Power Plant located at Village-Basi, Teh- Waraseoni, District- Balaghat, M.P. shall remain unchanged and validity of EC shall be as per the EIA notification 2006 and as per amendment in future in any.
- The recommendation for the transfer of EC does not certify that PP has not violated any provision of the EC at any point of time in the past. If at any point of time it is found that PP has violated the provision of EC, PP shall be liable for the same.
- The compliance of the conditions of environment clearance along with the Photographs of plantation and CER activities progress shall be submitted to the Parivesh Portal, Regional Office of MOEF&CC and M.P. SEIAA on six monthly basis by the New Project Proponenet as per provision of EIA notification 2006 and office memorandum 14.06.2022 of MoEF&CC Govt of India.

13. **Case No. P2/1124/2025 Shri O.P. Kriplani, Director, M/s Asnani Builders and Developers E-7/659 Arera Colony, Near P.N.B Bank Bhopal, (M.P.) - 462011. Prior Environment Clearance for Proposed “Aashima Anupama City Phase II” Development of Plotted Housing (Residential flat) at Khasra no. 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 140 at Village –Katara, Tehsil – Kolar, District – Bhopal, (M.P.), Total Plot Area – 59,789.72 SQM (14.77 acre). Built up Area – 71482.55 sq mt., Cat. - 8(a).Building and Construction projects. SIA/MP/ INFRA2 522930/2024. B-2.**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed “Aashima Anupama City Phase II” Development of Plotted Housing (Residential flat) at Khasra no. 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 140 at Village –Katara, Tehsil – Kolar, District – Bhopal, (M.P.), Total Plot Area – 59,789.72 SQM (14.77 acre). Built up Area – 71482.55 sq mt..

PP submitted following details on Parivesh Portal:

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/522930/2025.
2.	Project Name/Activity	Shri OP Kriplani, Director, M/s Asnani Builders and Developers E-7/659 Arera Colony, Near P.N.B Bank Bhopal, (M.P.) - 462011.Prior Environment Clearance forProposed “Aashima Anupama City Phase II” Development of Plotted Housing (Residential flat) at Khasra no. 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 140 at Village –Katara, Tehsil – Kolar, District – Bhopal, (M.P.), Total Plot Area –59,789.72 SQM (14.77 acre). Built up Area – 71482.55 sq mt.,Cat. - 8(a). Building and Construction projects.SIA/MP/INFRA2/522930/2024.
3.	Project Proposal For	New.
4.	Project Cost.	11995 Lakhs.
5.	Description of Project	The proposed project consists of Plotted Housing (Residential Flats) etc.
6.	Form 1A & Conceptual Plan	Submitted.
7.	Declaration	–
8.	Lat./Log.	As per conceptual Plan.
9.	Builtup Area details	71482.55sq mt., As per Conceptual Plan.
10.	MSW NOC	PP Apply Letter dt. 03/01/2025.
11.	Sewage NOC	PP Apply Letter dt. 03/01/2025.
12.	T&CP Permission	Letter No. 1007 dated 20/05/2024.
13.	Water NoC	PP Apply Letter dt. 03/01/2025.

14.	Waste Wate NoC	PP Apply Letter dt. 03/01/2025.
15.	Water requirement details	Fresh water requirement is approx. 306.60 KLD.
16.	Total No. of Car Provided	490 No.
17.	RWH	18 Pits.
18.	DG set capacity	-
19.	Environmental Consultant Change	M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) Valid up to 13.01 2026.

The case was presented by PP's authorized Representative Shri Sumit Dhankani and Env Consultant Ms. Rashmi Saraswat and Shri Varun Bhardwaj, M/s Zenith Environment Consultancy, and Noida (U.P.) wherein following details were submitted the PP has have obtained CTE for this project vide no. 61614 dated 22.01.2025and in the NW direction some structures are seen which are site office.

After presentation committee asked PP to submit following information for further consideration of the project:

1. Protection plan for a stream passing along the boundary of the project site.
2. Revised STP proposal.
3. On the Google map it reveals that some sheds exist at project site, please provide details of the same with photographs.
4. Other options for green area enhancement in the project area.
5. Revised Plantation scheme and CER plan as suggested by committee.
6. Details regarding water supply, waste handling during construction period.
7. Quantity of water requirement that can be met from recycling of treated waste water and from water harvesting.
8. Impact of the project on the Ground Water.
9. Provisions made to avoid flooding of the area , details of the drainage facilities provided .
10. Measures proposed to be undertaken during deployment of construction labourers that may lead to unsanitary conditions nearby project site.
11. On-site facilities for the collection, treatment and safe disposal of sewage, treatment capacity, recycling and disposal.
12. Details of duel plunbing system to ensure use of treated sewage for flushing of toilets and any other use.
13. Proposal for tree plantation, land scaping, creation of water body etc.
14. Details of background air quality levels with predicted values taking into account the increased traffic generation due to proposed construction.

15. Details of internal roads, bicycle tracks, pedestrian path ways, foot paths etc. with area covered.
16. Impact of DG sets and other equipments on noise levels and vibration in and AAQ around the project site.
17. Details of energy conservation measures in the selction of building materials and their energy efficiency.
18. Transport and handling of materials during construction may result in pollution & public nuisance, proposed measures to minimize the impacts.
19. Methods of collection, segregation and disposal of the garbage generated during the construction and operation phases of the project.
20. Energy consumption assume per square feet of buit-up area & measures to minimize the same.
21. Precutions & safety measures proposed to mange fire hazards.
22. Rate of air infiltration into the building & its mitigating measures.

The EMP has to covered mitigation measures for above activites to be undertaken during construction and operation to minimized adverse environmental impacts as a result of project activities along with environmental monitoring plan.

14. Case No. P2/1012/2025 Shri Vinod Kumar Khedia, Partner, M/s KISAN MINERAL PRIVATE LTD, Khedia Bhawan, P.O. Bijuri District- Anuppur MP- 484440. Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 24.5 ha. (36,688 cum per annum) (Khasra No. 587) Village Madwa, Tehsil- Lovekushnagar & District Chhatarpur (M.P.) [MIN/521377/] EIA .

प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ Standard TOR जारी किया गया था।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृतिका है, जिसमें आज दिनांक 26.03.2025 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kamal Kant, On-line , मेसर्स किसान मिनरल प्राइवेट लिमिटेड निवासी- निवासी- बिजुरी , जिला - अनूपपुर मध्य प्रदेश एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीकृष्णचन्द्र पांडा Online, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र.(ऑनलाइन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1- परियोजना विवरण:-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स किसान मिनरल प्राइवेट लिमिटेड निवासी बिजुरी -निवासी -, जिला अनूपपुर -, मध्य प्रदेश	
खसरा नं(निजी/सरकारी) क्षेत्रफल /.	587) सरकारी (नॉन फॉरेस्ट लैंड -	24.50 हेक्टेयर
स्थल	गावं-मड़वा तहसील-लवकुशनगर, जिला-छतरपुर, राज्य -मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म , मध्य प्रदेश ए "खनिज भवन ", अरेरा हिला , भोपाल(प्र. क्रमांक- 1039-40/खनिज/न.क्र. 30/उ.प्र./2019, भोपाल, दिनांक 25/01/2020)	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	लागू नहीं है।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	लागू नहीं है।	
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	कर्यालय संचालनालय भौतिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश प्र क्रमांक . /08 नस्ती क्रमांक 15-1514एम2020/6-सेल/पी., भोपाल, दिनांक 21.36/01/21,688घनमीटरवर्ष/	
स्वीकृत माईनिंग प्लान डीएसआर / अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की	मिलानस्थिति नहीं है	

स्थिति	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंगरॉक ब्रेकर का उल्लेख / करें।	ब्लास्टिंगप्रस्तावित नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	प्रकरणबी-1
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	श्री कृष्णचन्द्र पांडा मेसर्सओशियो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि.गाज़ियाबाद उ.प्र. (ऑनलाइन)
डिया ईयदि लागू) का विवरण .सी. (हो	डिआ ऐसी लेटर नो : उज्जैन दिनांक 1123/2016/ डिआ/. 2016/05/31
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	प्रस्तावित परियोजना सिया द्वारा टॉर न .TO24B0108MP5826723N दिनांक02/06/2024स्वीकृत है।
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन 36,688 घनमीटरवर्ष आवेदन किया गया / है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – छतरपुर(म. प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- 651/खनिज/2024 छतरपुर, दिनांक- 05/03/2024अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 26.969 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर के एकल (.प्र .म) छतरपुर – जिला (खनिज शाखा) 2024/खनिज/651 -क्रमांक पत्र-प्रमाणछतरपुर, दिनांक 2024/03/05 - अनुसार ईको / अभ्यारण्य / किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क 10 सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है 250 ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर के एकल (.प्र .म) छतरपुर – जिला (खनिज शाखा) 2024/खनिज/651 -पत्र क्रमांक-प्रमाणछतरपुर, दिनांक 2024/03/05 - अनुसार मीटर की परिधि में मानव बसाहट 500, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईननशील संवेद/ राष्ट्रीय राजमार्ग / शमशान घाट / सार्वजनिक भवन/ क्षेत्रों जैसे रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकायग/नहर/स्टॉप डैम / बांध / तालाब /नदी/रामीण कच्चा / नाला नहीं है।/पक्का रास्ता
ग्राम सभा/नगर परिषद्/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत कटहरा जनपद पंचायत लवकुशनगर जिला छतरपुर (०प्र ०म)दिनांक - 28/04/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है

ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
क्रेशर की स्थिति लीज के बाहर या) (लीज क्षेत्र के अन्दर	बाहर
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	- लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 0 - यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 0 - काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 0 है - यदि पेड़ों का या अन्य संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से गैर खन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण 0 है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति (खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुए एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुए सरफेस मैप को के साथ प्रस्तुत करें)	उत्तर दिशा- खदान के उत्तर दिशा में 10 मीटर पर कृषिभूमि परिलाक्षित हो रही है।
	दक्षिण दिशा- खदान के उत्तर दिशा में 10 मीटर पर कृषिभूमि परिलाक्षित हो रही है।
	पूर्व दिशा- खदान के पूर्व दिशा में अन्य खदान और कृषिभूमि परिलाक्षित हो रहा है।
	पश्चिम दिशा- खदान के पश्चिम दिशा में अन्य खदान परिलाक्षित हो रहा है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	05/03/2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक की अण्डरटेकिंग Vide letter no. क्रमांक 326/SEIAA/2022, छतरपुर दिनांक- 07/09/2022 पेज नं०. 178 स० नं०. 04 अनुसार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत है
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु यदि) (लागू हो तो	जन सुनवाई 28 नवंबर को हुई जिसमें लोगों को किसी तरह 2024 की आपत्ति नहीं है जन सुनवाई में लोगों ने पौधारोपण रोजगार एवं जल छिड़काव की बात कही है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रकरण समामेलन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का है जिसके लिये एलओआई क्रमांक- 1039-40/खनिज/न.क्र. 30/उ.प्र./2019, भोपाल, दिनांक 25/01/2020 के माध्यम से जारी हुई है, जिसका समामेलन किये जाने पर एक ब्लाक में कुल रकबा 24.5 हे. होता है। स्वीकृत उत्खनिपट्टों के समामेलन पश्चात् आवेदक मेसर्स किसान मिनरल प्रा.लि. के पक्ष में ग्राम मडवा के खसरा क्र. 587 का कुल रकबा 24.5 हे. ग्रेनाइट खनिज हेतु उत्खनिपट्टा अवधि 15/07/1997 से 14/07/2027 तक के लिये स्वीकृत मान्य होगा।

During presentation PP submitted that LoI issued for following details about the project:

- Madwa Granite Quarry/Mine project is situated at Village- Madwa Tehsil- Lavkush Nagar, District- Chhatarpur, and State- Madhya Pradesh over an area of 24.50 Ha M/s Kisan Mineral Pvt. Ltd. proposes the concerned Madwa Granite Quarry/Mine Project.
- The project proponent is intended to the production 36,688 cum/Year Gitti Stone (within 5 Years) for proposal for five years as per the approved mine plan. The estimated project cost is Rs 50 Lakhs. This project is individual lease >5 Ha, Hence, as per OM dated 12-12-2018 it falls under category 'B1'.
- The approval for mining of Madwa Granite Quarry/Mine over an area of 24.50 Ha at Khasra no. 587 near- Village- Madwa, Tehsil- Lavkushnagar, District- Chhatarpur, State Madhya Pradesh has been issued by the Government of Madhya Pradesh vide letter no. पृ. क्रमांक- 1039-40/खनिज/न.क्र. 30/उ.प्र./2019, भोपाल, दिनांक 25/01/2020.
- The water table in the area is at about 40-45 mbgl (as per approved mine plan) & mining is proposed up to 48 m. Thus, the mining operation shall not intersect groundwater. Hence, no need for any permission from CGWA.

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. स्वीकृत माईनिंग प्लान एवं डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति स्पष्ट करें।
2. ईआईए रिपोर्ट में टॉर कम्पलाईन्स के अन्तर्गत दी गई बिन्दुवार जानकारी में Noted उल्लेख किया गया है, ईआईए के किस चेप्टर में जानकारी दी गई है उन बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना चाहिये अतः टॉर कम्पलाईन्स की संशोधित जानकारी प्रस्तुत करें।
3. सतही जल गुणवत्ता के मॉनिटरिंग लोकेशन के बिन्दुओं SW-1, SW-2 की जाँच पुनः की जाकर परिणाम प्रस्तुत करें। मृदा जाँच में SAR पैरामीटर की जाँच की जाकर प्रस्तुत करें।
4. भू-जल गुणवत्ता, सरफेस जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता के परिणामों को निर्धारित मापदण्डों तथा प्रस्तावित ईएमपी के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत किया जाये।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये बिन्दुओं/सुझाव/टीका-टिप्पणी के अनुसार समीप के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था तथा विज्ञान मॉडल/विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल-पेंटिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

15. **Case No. P2/1125/2025 Shri Siyaram Patidar, Partner, Mukund Developers, 37, Village-Salaiya, Bhopal (M.P.) – 462026. Prior Environment Clearance for Proposed “Mukund Majesty” Development of Multi-Unit Residential (Apartment) Project at Khasra No. - 185, 186/1/2 & 186/2/1, Village – Salaiya, Tehsil – Huzur, District – Bhopal (M.P.), Total Project Area – 27600.00 Sqm. (5.51 Ha.) Built up Area – 75,042 sq mt., Cat. - 8(a). Building and Construction projects. SIA/MP/INFRA2/525947/2025.**

This is case of Prior Environment Clearance for proposed “Mukund Majesty” Development of Multi-Unit Residential (Apartment) Project at Khasra No. - 185, 186/1/2 & 186/2/1, Village – Salaiya, Tehsil – Huzur, District – Bhopal (M.P.), Total Project Area – 27600.00 Sqm. (5.51 Ha.) Built up Area – 75,042 sq mt., Cat. - 8(a).

PP submitted following details on Parivesh Portal:

Information Required	Details
Project	SIA/MP/INFRA2/525947/2025.
Project Name/Activity	Shri Siyaram Patidar, Partner, Mukund Developers, 37, Village-Salaiya, Bhopal (M.P.) – 462026. <i>Prior Environment Clearance for Proposed “Mukund Majesty” Development of Multi-Unit Residential (Apartment) Project at Khasra No. -185, 186/1/2 & 186/2/1, Village – Salaiya, Tehsil – Huzur, District – Bhopal (M.P.), Total Project Area – 27600.00Sqm.(5.51 Ha.)Built up Area – 75,042sq mt.,Cat. - 8(a). Building and Construction projects.</i> SIA/MP/INFRA2/525947/2025.
Project Proposal For	New.
Project Cost.	16000 Lakhs.
Description of Project	The proposed project consists of Residential Plots and Apartments.
Form 1A & Conceptual Plan	Submitted.
Declaration	No Construction start at project site Submitted.
Partnership deed	Submitted.
Lat./Log.	1. 23° 9'16.49"N 77°26'37.58"E 2. 23° 9'15.64"N 77°26'37.62"E 3. 23° 9'11.57"N 77°26'37.71"E 4. 23° 9'11.27"N 77°26'39.31"E 5. 23° 9'10.55"N 77°26'41.32"E 6. 23° 9'15.85"N 77°26'41.33"E 7. 23° 9'23.67"N 77°26'41.11"E 8. 23° 9'23.69"N 77°26'40.91"E

	9. 23° 9'23.44"N 77°26'40.35"E 10. 23° 9'23.51"N 77°26'37.64"E 11. 23° 9'23.55"N 77°26'36.88"E 12. 23° 9'20.41"N 77°26'36.97"E 13. 23° 9'18.75"N 77°26'37.02"E 14. 23° 9'17.39"N 77°26'34.70"E 15. 23° 9'17.52"N 77°26'32.81"E 16. 23° 9'15.68"N 77°26'33.95"E 17. 23° 9'14.19"N 77°26'34.77"E 18. 23° 9'11.93"N 77°26'34.25"E 19. 23° 9'11.96"N 77°26'33.93"E 20. 23° 9'12.12"N 77°26'32.92"E 21. 23° 9'12.27"N 77°26'32.34"E 22. 23° 9'12.53"N 77°26'30.83"E 23. 23° 9'12.87"N 77°26'30.96"E 24. 23° 9'13.41"N 77°26'31.16"E 25. 23° 9'13.98"N 77°26'31.36"E 26. 23° 9'15.26"N 77°26'31.86"E 27. 23° 9'16.14"N 77°26'32.20"E	
	Builtup Area details	75,042 sq mt.,
	Building Permission	PMT/BHO/0269/1810/202 Date 24 May 2024.
	CTE details	➤ Outward No:122171,14/02/2025, Consent No:CTE-61755, ➤ Date of issue 14/02/2025. Valid up to 30/01/2030.
	Partnership Deed Copy.	Upload on Parivesh Portal.
	MSW NOC	BMC Bhopal (Zone-18) Letter No. 160 dt. 08/11/2024.
	Sewage disposal NOC	BMC Bhopal (Zone-18 & 19) Letter No. 146 dt. 12/08/2024.
	T&CP Permission	Letter No. BPLLP-7212LP-29 (3)T&CP Bhopal dated 18/01/2021.
	Water NoC	BMC Bhopal (Zone-18) Letter No. 165 dt. 28/08/2024.
	Extra treated water NoC	
	Number of vehicle to be parked	516 No.
	Water requirement details	The total water demand for the project is around 470.56 KLD. Municipal corporation water supply will be used to fulfill the fresh water requirement. Fresh water 298.19 KLD Flushing 155.18 KLD Horticulture / Landscape 18 KLD, Total water requirement 470.56 KLD Wastewater 393.73 KLD, STP Capacity –500 KLD Proposed.
	RWH	17 Pits.
	DG set capacity	There is provision of DG set of total capacity 200 kVA for power back up in the Project.
	Environmental Consultant Change	M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) Valid up to 13. 01 2026.

The case was presented by PP's authorized representative Shri Siyaram Patidar and Env Consultant Ms. Rashmi Saraswat and Shri Varun Bhardwaj, M/s Zenith Environment Consultancy, and Noida (U.P.) wherein following details were submitted the PP has have obtained CTE for this project vide no. 61755 dated 14.02.2025.

After presentation committee asked PP to submit following information for further consideration of the project:

1. Plant /trees variety preferably be selected as helpful in polluting reduction & eco-friendly as suggested by committee. Other options for green area enhancement shall be worked out.
2. Revised STP proposal, water balance chart, no. of rain water harvesting pits with capacity to be shown on map, Utilization of treated STP water.
3. Other options for green area enhancement in the project area.
4. Revised Plantation scheme and CER plan as suggested by committee.
5. Details regarding water supply, waste handling during construction period.
6. Quantity of water requirement that can be met from recycling of treated waste water and from water harvesting.
7. Impact of the project on the Ground Water.
8. Provisions made to avoid flooding of the area , details of the drainage facilities provided .
9. Measures proposed to be undertaken during deployment of construction labourers that may lead to unsanitary conditions nearby project site.
10. On-site facilities for the collection, treatment and safe disposal of sewage, treatment capacity, recycling and disposal.
11. Details of dual plumbing system to ensure use of treated sewage for flushing of toilets and any other use.
12. Proposal for tree plantation, land scaping, creation of water body etc.
13. Details of background air quality levels with predicted values taking into account the increased traffic generation due to proposed construction.
14. Details of internal roads, bicycle tracks, pedestrian path ways, foot paths etc. with area covered.
15. Impact of DG sets and other equipments on noise levels and vibration in and AAQ around the project site.
16. Details of energy conservation measures in the selction of building materials and their energy efficiency.
17. Transport and handling of materials during construction may result in pollution & public nuisance, proposed measures to minimize the impacts.

18. Methods of collection, segregation and disposal of the garbage generated during the construction and operation phases of the project.
19. Energy consumption assume per square feet of built-up area & measures to minimize the same.
20. Precutions & safety measures proposed to mange fire hazards.
21. Rate of air infiltration into the building & its mitigating measures.

The EMP has to covered mitigation measures for above activites to be undertaken during construction and operation to minimized adverse environmental impacts as a result of project activities along with environmental monitoring plan.

16. **Case No 10703/2023 Shri Sachin Patni, Lessee, M/s S and S Stone Crusher, R/o Bada Bazar, Unhel, District-Ujjain (MP)-456221, Prior Environment Clearance for Akyanajik Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-50000, M-Sand-50000 cum per year) (Khasra No. 76), Village Akyanajik, Tehsil Nagda , District Ujjain (M.P.) [DEIAA] (EIA).**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 699वीं बैठक दिनांक 06/12/2023 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति द्वारा अनुशंसा की गयी थी।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SACHIN PATNI, Lessee, M/s S AND S STONE CRUSHER, BADA BAZAR, UNHEL, DIST. UJJAIN (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	76 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Akyanajik, Tehsil Nagda , District Ujjain (M.P.)	
लीज स्वीकृति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज आदेश की प्रति अपलोड नहीं की गई है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 897 दिनांक 19/05/16 के द्वारा पत्थर-24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड-50,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1906 दिनांक 28/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 27.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1906 दिनांक 28/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1906 दिनांक 28/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आक्या नाजिक जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-8 दिनांक 30/10/2007 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- no tree felling proposed
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र खुदा हुआ है। उत्तर दिशा- पक्का रोड लगभग 176 मी.एवं पश्चिम दिशा में 10 मी. पर एक हालेज रोड है। पूर्व दिशा- पक्का रोड लगभग 253 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-29 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन पाटनी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर राजस्थान, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता —**Stone-50000, M-Sand-50000 cum per year** ।

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.95 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 3.94 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण किये जायें
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4.0 लाख :-

क्रमांक	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.)
1.	ग्राम आक्यानजीक के शासकीय विद्यालय में 5 किलोवॉट वाट के सोलर पेनल की स्थापना की जाएगी	2,00,000
2.	लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच और उन्नत कृषि तकनीक कार्यक्रम जैसे जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे	1,00,000
3.	ग्राम आक्यानजीक के शासकीय विद्यालय वैज्ञानिक उपकरण एवं इससे सम्बंधित वॉल पेंटिंग की जाएगी	1,00,000
कुल योग		4,00,000

17. Case No. P2/655/2024Shri Pramod Kumar Saxena, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Pasan Sand Quarry in an area of 6.082 ha (1,09,476 cum per year) (Khasra No.1214,1215) Village– Pasan, Tehsil – Anuppur, District –Anuppur(M.P.) – (EIA).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी के पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार ऑनलाईन मेसर्स कॉग्नीजेस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री प्रमोद कुमार सक्सेना कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.– 1214,1215 क्षेत्रफल – (शासकीय भूमि नदी) 6.082 हे.
स्थल	ग्राम – पसान, तहसील –अनूपपुर, जिला – अनूपपुर (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षोंके लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नयाप्रोजेक्ट ।
स्वीकृतमाईनिंग प्लान/ डी एसआरअनुसारकोर्डिनेट्समिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नयाप्रोजेक्ट
पर्यावरणसलाहकार या उनके अधिकृतप्रतिनिधि द्वारास्थलनिरीक्षण	स्थल का नामपसान रेत खदान, दिनांक-18/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉरयदिलागूहोतोविवरणदें।	सिया द्वारापसान रेत खदानके लिए स्टेन्डर्ड टॉर

	दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,09,476 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,09,476 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 534/खनिज/2023 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 6.082 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 534/खनिज/2023 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 534/खनिज/2023 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक, जिला अनूपपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 25/03/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	केवई नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सियामेंईसीहेतुप्रकरणप्रस्तुतकरने का दिनांक	23 / 01 / 2025
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-10 एवं पेज नं.-47 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है ।
जनसुनवाईके प्रमुख बिन्दु (यदि लागूहोतो)	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई दिनांक 10 / 07 / 2024, कोसंपन्न हुई । आपत्तियों / सुझाव प्राप्तहुए, जिसेपर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आरमें बजट के साथ शामिलकियागया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी वर्ष 2021-2022 में हुई वर्षों के आधार पर तैयार की गई है। इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल ईमेज का आंकलन करने पर समिति ने पाया कि नगरपालिका परिषदपसान का अनापत्ति पत्र क्रमांक 763 दिनांक 25 / 03 / 2015 का प्रस्तुत किया गया है जो कि लगभग 10 वर्ष पुराना है। अतः नवीन अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करें। समिति ने गूगल इमेज के परीक्षण के दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम भाग में एक रोड ब्रिज लगभग 700 मी. की दूरी पर स्थित है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा जावेगा, अतः उपलब्ध खनन क्षेत्र से अनुमोदित खनन योजना में वर्णित डेथ अनुसार विवरण देते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र पेसा (PESA) एक्ट के अर्न्तगत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, अतः पेसा ग्रामसभा की नवीन अभिमत / अनापत्ति प्रस्तुत करें ।
3. ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / नगरपालिका परिषद की नवीन अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करें।

4. **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ने के पश्चात् पश्चिमी लीज क्षेत्र में उपलब्ध खनन क्षेत्र से अनुमोदित खनन योजना में वर्णित डेप्थ अनुसार विवरण देते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/नर्मदा परिक्रमा पथ के यात्रियों के लिये रुकने की व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण एवं विकास (सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था आदि) संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

18. Case No. P2/654/2024 Shri Pramod Kumar Saxena, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for, Manpur Sand Quarry in an area of 5.360 ha (96,480 cum per year) (Khasra No.75/78 & 37/77) Village – Manpur, Tehsil – Anuppur, District – Anuppur(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि के पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार ऑनलाईन मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री प्रमोद कुमार सक्सेना कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.— 75/78 व क्षेत्रफल – 37/77 5.360 हे. (शासकीय भूमी नदी)
स्थल	ग्राम – मानपुर, तहसील –अनूपपुर, जिला – अनूपपुर (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षोंके लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नयाप्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नयाप्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मानपुर रेत खदान, दिनांक-18/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा मानपुर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर

	दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 96,480 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 96,480 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 534/खनिज/2023, दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 5.360 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र 534/खनिज/2023, दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 534/खनिज/2023, दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट ग्राम मानपुर एवं माडल आवासीय स्कूल स्थित है तथा/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक, जिला अनूपपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 26/01/2020 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	सोन नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23 / 01 / 2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-09 के सरल क्रमांक-05 एवं पेज नं.-48 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई दिनांक 11 / 07 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी वर्ष 2021-2022 में हुई वर्षा के आधार पर तैयार की गई है। इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें। समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र के पूर्व वर्षों के रेत का उत्पादन डेटा प्रस्तुत करें।
3. लीज क्षेत्र पेसा (PESA) एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, अतः पेसा ग्रामसभा की नवीन अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें।
4. प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. इमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से कोर्डिनेट्स, में परिवर्तन किया गया है अतः परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर प्रस्तुत करें।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/नर्मदा परिक्रमा पथ के यात्रियों के लिये रुकने की व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण एवं विकास (सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था आदि) संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

19. Case No. P2/651/2024 Shri Shashi Bhusan Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Panagar – 2 Sand Quarry in an area of 6.00 ha. (64,800cum per year) (Khasra No. 276) Village – Panagar, Tehsil – Gadarwara, District – Narsinghpur(M.P.) – (EIA).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री शशि भूषण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री शशि भूषण सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं.— 276 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 6.00 हे.
स्थल	ग्राम – पनागर, तहसील –गाडरवारा, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डीएसआर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नयाप्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पनागर –2 रेत खदान, दिनांक-18/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पनागर – 2 रेत खदानके लिए स्टेन्डर्ड	

	टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 64,800 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 999/खनिज/2023 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं । जिसका रकबा 5.00 हे. हैं । इस प्रकार कुल रकबा 11.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 999/खनिज/2023 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईका सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 999/खनिज/2023 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टाप/डैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पनागर जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 15/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	दूधी नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	30 / 01 / 2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-12 एवं पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29 / 06 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की कोर्डिनेट्स, में परिवर्तन किया गया है एवं खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 में हुई वर्षा के आधार पर तैयार की गई है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल ईमेज का आंकलन करने पर समिति ने पाया कि लीज क्षेत्र से एक रोड ब्रिज स्थित लगभग 115 मी. की दूरी पर है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ने पर लीज क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध नहीं होता है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के संशोधित कोर्डिनेट्स किये गये हैं जिनको जिला खनन अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावेंगे ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. प्रस्तुत खदान क्षेत्र के संशोधित कोर्डिनेट्स जिला खनन अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करें । प्रस्तुत खनन क्षेत्र में रोड ब्रिज के होने से खनन योग्य एरिया शेष नहीं बचता है ।
2. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था/प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विज्ञान मॉडल वितरण एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

20. Case No. P2/314/2024 Shri Pramod Kumar Saxena, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Khujarwar Sand Quarry in an area of 6.937 ha (1,24,866 cum per year) (Khasra No.731/1) Village – Khujarwar, Tehsil – Pushprajgarh, District – Anuppur(M.P.) – (EIA).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री प्रमोद कुमार सक्सेना (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री प्रमोद कुमार सक्सेना कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं.— 731/1 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 6.937 हे.
स्थल	ग्राम – खुजरवार, तहसील –पुष्पराजगढ़, जिला –अनूपपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षोंके लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नयाप्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नयाप्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थलनिरीक्षण	स्थल का नाम खुजरवार रेत खदान, दिनांक-11/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा खुजरवार रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर	

	दिनांक 29/02/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत— 1,24,866 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत — 1,24,866 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 529/खनिज/2023 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 6.937 हे. है अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 529/खनिज/2023 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 529/खनिज/2023 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक, जिला अनूपपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 15/07/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23 / 01 / 2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-08 के सरल क्रमांक-01 एवं पेज नं.-47 के सरल क्रमांक-10 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई दिनांक 18 / 06 / 2024, कोसंपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत नहीं की गई ।प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल ईमेज का आंकलन करने पर समिति ने पाया कि नगरपालिका परिषदपसान का अनापत्ति पत्र क्रमांक 763 दिनांक 25 / 03 / 2015 का प्रस्तुत किया गया है जो कि लगभग 10 वर्ष पुराना है। अतः नवीन अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार के साथ लीज क्षेत्र के पूर्व वर्षों के रेत का उत्पादन डेटा प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र पेसा (PESA) एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, अतः पेसा ग्रामसभा की नवीन अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें ।
3. ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत/नगरपालिका परिषद की नवीन अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करें।
4. रेत की निकासी/परिवहन मार्गआबादी क्षेत्र से निकल रहा है अतः निकासी मार्ग के लिये वैकल्पिक मार्ग गूगल मेप में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/नर्मदा परिक्रमा पथ के यात्रियों के लिये रुकने की व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण एवं विकास (सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था आदि) संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

21. Case No. P2/653/2024 Shri Shashi Bhusan Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Gadarwara Sand Quarry in an area of 7.50 ha. (1,21,500 cum per year) (Khasra No. 308) Village – Gadarwara, Tehsil – Gadarwara, District – Narsinghpur(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री शशिभूषण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री शशिभूषण सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.— 308 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 7.50 हे.
स्थल	ग्राम – गाडरवारा, तहसील – गाडरवारा, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेशशासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डीएसआर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नयाप्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गाडरवारा रेत खदान, दिनांक-15/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गाडरवारा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर	

	दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,21,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,21,500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 1016/खनिज/2023 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 4.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.50 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 1016/खनिज/2023 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1016/खनिज/2023 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/संवेदन गीलक्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/नहर/बांध/ स्टाप/डैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 10/07/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	शक्कर नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	30 / 01 / 2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक-25 एवं पेज नं.-79 के सरल क्रमांक-04 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29 / 06 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी वर्ष 2017-2021 में हुई वर्षा के आधार पर तैयार की गई है। समिति ने गूगल इमेज के परीक्षण के दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम भाग में एक रोड ब्रिज लगभग 541 मी. की दूरी पर स्थित है | **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा जावेगा, अतः उपलब्ध खनन क्षेत्र से अनुमोदित खनन योजना में वर्णित डेप्थ अनुसार विवरण देते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ने के पश्चात् उपलब्ध खनन क्षेत्र से अनुमोदित खनन योजना में वर्णित डेप्थ अनुसार विवरण देते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।
2. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/नर्मदा परिक्रमा पथ के यात्रियों के लिये रुकने की व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण एवं विकास (सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था आदि) संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

22. Case No. P2/656/2024 Shri Pramod Kumar Saxena, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Cholna Sand Quarry in an area of 6.00 ha (1,08,000 cum per year) (Khasra No.164) Village – Cholna, Tehsil – Jaithari, District –Anuppur(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री प्रमोद कुमार सक्सेना (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री प्रमोद कुमार सक्सेना कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा नं.— 164 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 6.00 हे.
स्थल	ग्राम – चोलना, तहसील –जैतहरी, जिला – अनूपपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नयाप्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नयाप्रोजेक्ट	
पर्यावरणसलाहकार या उनके अधिकृतप्रतिनिधि द्वारास्थलनिरीक्षण	स्थल का नाम चोलना रेत खदान, दिनांक-19/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉरयदिलागूहोतोविवरणदे।	सिया द्वाराचोलना रेत खदानके लिए स्टेन्डर्ड टॉर	

	दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,08,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,08,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 526/खनिज/2023 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 6.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 526/खनिज/2023 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटरमेंवन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 526/खनिज/2023 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक, जिला अनूपपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 12/05/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	सोन नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23 / 01 / 2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-09 एवं पेज नं.-47 के सरल क्रमांक-08 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागूहोतो)	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई दिनांक 10 / 07 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत करें। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल ईमेज का आंकलन करने पर समिति ने पाया कि नगरपालिका परिषदका अनापत्ति पत्र दिनांक 12 / 05 / 2015 का प्रस्तुत किया गया है जो कि लगभग 10 वर्ष पुराना है। अतः नवीन अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र पेसा (PESA) एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, अतः पेसा ग्रामसभा की नवीन अभिमत / अनापत्ति प्रस्तुत करें।
3. ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / नगरपालिका परिषद की नवीन अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करें।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं / नर्मदा परिक्रमा पथ के यात्रियों के लिये रुकने की व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण एवं विकास (सोलर पेनल / सोलर लाईट की व्यवस्था आदि) संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

23. Case No. P2/650/2024 Shri Shashi Bhusan Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Sansarkheda – 2 Sand Quarry in an area of 10.00 ha. (1,35,000 cum per year) (Khasra No. 207) Village – Sansarkheda, Tehsil – Saikheda, District – Narsinghpur(M.P.) – (EIA).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री शशि भूषण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री शशि भूषण सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.- 207 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 10.00 हे.
स्थल	ग्राम – संसारखेड़ा, तहसील –साईखेड़ा, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नयाप्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डीएसआर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नयाप्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम संसारखेड़ा -2 रेत खदान, दिनांक-15/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा संसारखेड़ा – 2 रेत खदानके लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके	

	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,35,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,35,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 998/खनिज/2023 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 13.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 23.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 998/खनिज/2023 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 998/खनिज/2023 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे— रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/अन्यनदी/तालाब/नहर/बांध/स्टाप/डैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्रामपंचायत झिकौली जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	दुधि नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	30/01/2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-07 एवं पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागूहोतो)	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई दिनांक 29/06/2024, कोसंपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्तहुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 में हुई वर्षा के आधार पर तैयार की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-Bअनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 1,35,000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.89 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.6 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,60,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम संसारखेड़ा-2 के खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी	1,60,000
कुल	1,60,000

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2480 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण एवं 4000 वृक्षों का वितरण किया जावेगा ।

24. Case No. P2/706/2024 Shri Satendra Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Mohadkalan Sand Quarry in an area of 3.50 ha (42,000 cum per year) (Khasra No.229) Village – Mohadkalan, Tehsil – Udaipura, District –Raisen(M.P.) – (EIA).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.— 229 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 3.50 हे.
स्थल	ग्राम – मोहड़कला, तहसील –उदयपुरा, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेशशासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक–एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षोंके लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नयाप्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मोहड़कला रेत खदान, दिनांक–25/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा मोहड़कला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति	

	के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 42,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 42,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 1218/खनिज/2023 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 7.856 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.356 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1218/खनिज/2023 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1218/खनिज/2023 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत उदयपुरा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 11/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/01/2025

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-95 के सरल क्रमांक-26 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हों तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/07/2024 को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन लीज खदान है । अतः खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी उपलब्ध नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-B अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेट – 42,000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 10 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 7.875 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.37 लाख प्रति वर्ष।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.9 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम मोहड़कलां के आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों के लिये खिलौनों का वितरण किया जावेगा।	90,000

कुल	90,000
-----	--------

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1010 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण एवं 1510 वृक्षों का वितरण किया जावेगा ।

25. Case No. P2/704/2024Shri Ramesh Bhumarkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Belkhedi Sand Quarry in an area of 13.450 ha (80,000 cum per year) (Khasra No.339) Village – Belkhedi, Tehsil – Shahpura, District –Jabalpur(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री अर्जुन श्रीवास्तव (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार, ऑनलाईन मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.— 339 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 13.450 हे.
स्थल	ग्राम – बेलखेड़ी, तहसील –शहपुरा, जिला – जबलपुर (म. प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नयाप्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नयाप्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बेलखेड़ी रेत खदान, दिनांक-24/02/2024	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू होतो विवरण दें।	सिया द्वारा बेलखेड़ी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके	

	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत –80,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2485/रेत/खनिज/2022-23 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 13.450 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2485/रेत/खनिज/2022-23 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2485/रेत/खनिज/2022-23 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक, जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 08/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/01/2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-14 के सरल क्रमांक-23 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई दिनांक 12/07/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्तहुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी वर्ष 2016-2022 में हुई वर्षा के आधार पर तैयार की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-Bअनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -80,000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 10 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. **17.435** लाख एवं रिकरिंग राशि रु. **6.80** लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **1.40** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बेलखेड़ी में रोड के लिएसोलर लाईट ।	60,000
ग्राम बेलखेड़ी में ग्रामवासियों के लिये वर्ष में 03 बार कैंसर स्वास्थ्य परीक्षण सिविर का आयोजन	80,000
कुल	1,40,000

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण एवं 6000 वृक्षों का वितरण किया जावेगा ।

26. Case No. P2/682/2024 Shri Gaya Prasad Anjane, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Mohbala Sand Quarry in an area of 10.110 ha. (1,81,980 cum per year) (Khasra No. 317/384) Village – Mohbala, Tehsil – Manpur, District – Umaria(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री गया प्रसाद अंजने (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री गया प्रसाद अंजने कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.– 317/384 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 10.110 हे.
स्थल	ग्राम – मोहबला, तहसील –मानपुर, जिला – उमरिया (म. प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डीएसआर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मोहबला रेत खदान, दिनांक-15/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा मोहबला रेत खदानके लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार	

	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 1,81,980 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत —1,81,980 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1091/खनिज/रेत/2023 दिनांक 11/08/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 10.110 हे. है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 1091/खनिज/रेत/2023 दिनांक 11/08/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । आवेदित क्षेत्र पनपथा अभ्यारण्य से 5.60 कि.मी एवं बफर क्षेत्र न्यूनतम 1.72 किमी. दूरी पर स्थित हैं। एवं 250 मीटर में कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1091/खनिज/रेत/2023 दिनांक 11/08/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन /हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/अन्य नदी/तालाब/ नहर/बांध/स्टाप/डैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता स्थित नहीं हैं। आवेदित क्षेत्र से 130 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्रामसभा बल्हौड़ जिला उमरिया के अनापत्ती पत्र दिनांक 24/06/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का	सोन नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

नाम ।	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22 / 01 / 2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-08 के सरल क्रमांक-02 एवं पेज नं.-75 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागूहोतो)	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई दिनांक 29 / 06 / 2024, कोसंपन्न हुई । आपत्तियों / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर.मेंबजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तुत के अनुसार समिति ने पाया कि लीज क्षेत्र से लगभग 900 मी. एवं नदी तट से 30 मी. की दूरी पर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है अतः परियोजना प्रस्तावक सुनिश्चित करें कि रेत परिवहन मार्ग हेतु वैकल्पिक मार्ग का चयन करें ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. रेत परिवहन मार्ग / वैकल्पिक मार्ग नक्शों में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था/प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विज्ञान मॉडल वितरण एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

27. Case No. P2/648/2024Shri Ravindra Prasad Mishra, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Kamko Mohaniya Sand Quarry in an area of 6.00 ha (1,08,000 cum per year) (Khasra No.546) Village – Kamko Mohaniya, Tehsil – Dindori, District – Dindori (M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री रविन्द्र प्रसाद मिश्रा (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रविन्द्र प्रसाद मिश्रा कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.- 546 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 6.00 हे.
स्थल	ग्राम – कमको मोहनिया, तहसील –डिण्डौरी, जिला – डिण्डौरी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृतमाईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नयाप्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम कमको मोहनिया रेत खदान, दिनांक-08/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा कमको मोहनिया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है,	

	जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,08,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,08,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 771/खनि/2023 दिनांक 21/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 6.00 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 771/खनि/2023 दिनांक 21/03/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 771/खनि/2023 दिनांक 21/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक, जिला डिण्डौरी के अनापत्ती पत्र दिनांक 01/11/2014 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	बुढ़नेर नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23 / 01 / 2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-04 एवं पेज नं.-71 के सरल क्रमांक-04 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई दिनांक 01 / 07 / 2024, कोसंपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत नहीं की गई।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र पेसा (PESA) एक्ट के अर्न्तगत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, अतः पेसा ग्रामसभा की नवीन अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें ।
3. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था/प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विज्ञान मॉडल वितरण एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई. आर. योजना प्रस्तुत करें।

28. Case No.P2/649/2024Shri Ravindra Prasad Mishra, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Musamundi Sand Quarry in an area of 7.00 ha (37,800 cum per year) (Khasra No.54) Village – Musamundi, Tehsil – Bajag, District –Dindori (M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री रविन्द्र प्रसाद मिश्रा (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रविन्द्र प्रसाद मिश्रा कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता –पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.- 54 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 7.00 हे.
स्थल	ग्राम – मूसामुण्डी, तहसील –बजाग, जिला – डिण्डौरी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नयाप्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नयाप्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मूसामुण्डी रेत खदान, दिनांक 18/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा मूसा मुण्डी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 09/04/2024 को जारी किया गया है, जिसके	

	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 37,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 37,800 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 772/खनि/2023 दिनांक 21/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 7.00 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 772/खनि/2023 दिनांक 21/03/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 772/खनि/2023 दिनांक 21/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक, जिला डिण्डौरी के अनापत्ती पत्र दिनांक 27/01/2020 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23 / 01 / 2025
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-01 एवं पेज नं.-71 के सरल क्रमांक-01 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02 / 07 / 2024, कोसंपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्तहुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी प्रस्तुत नहीं की गई।प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल ईमेज का आंकलन करने पर समिति ने पाया कि लीज क्षेत्र में लगभग 745 मी. है एक रोड ब्रिज स्थित है ,**Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ने पर लीज क्षेत्र खनन हेतु कितना भाग उपलब्ध होता है, प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. खदान रेत लीज क्षेत्र की रिप्लेनेशमेंट स्टडी कम से कम 03 वर्षों से लेटेस्ट रेनफाल डेटा के आधार पर प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र पेसा (PESA) एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, अतः पेसा ग्रामसभा की नवीन अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें ।
3. ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की नवीन अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करें।
4. **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के अनुसार 01 कि.मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ने के पश्चात् पश्चिमी लीज क्षेत्र में उपलब्ध खनन क्षेत्र से अनुमोदित खनन योजना में वर्णित डेथ अनुसार विवरण देते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था/प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विज्ञान मॉडल वितरण एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु :-

वर्तमान में परिवेश-2.0 पोर्टल में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के परियोजनाओं के प्राप्त आवेदनों का सेक स्तर पर प्रक्रिया शुल्क संबंधी फीस की ऑनलाईन जमा शुल्क संबंधी दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण को स्वीकार कर, प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण कर अपनी अनुशंसा को प्रेषित करता है, अतः सेक स्तर पर शुल्क का मिलान करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है । उपरोक्त परिपेक्ष्य में समिति की अनुशंसा है, कि सिया द्वारा शुल्क का परीक्षण कर रिकार्ड संधारण/पुष्टि का कार्य पूर्ववत् ही किया जावे तथा शुल्क का समाधान होने पर ही ई. सी. के संबंध में निर्णय लिया जावे ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.

16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
38. **कशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**
 1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minal Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।